IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO.13 OF 2023

IN THE MATTER OF:

INDOTECH WASTE SOLUTION … APPELLANT

VERSUS

UP SEIAA & ORS. … RESPONDENTS

I N D E X

S.No.	PARTICULARS	PAGES
1.	REJOINDER TO REPLY FILED BY R-4 ALONGWITH AFFIDAVIT	**1-7**
2.	**Annexure-1:** Copy of the report/ letter 247 / वि0 स0 (जी)/23 दिनांक 01 मार्च 2023.	**8-14**
3.	**Annexure-2 (Colly):** Copy of the orders dated 15/05/2023 & 22/05/2023.	**15-17**
4.	**Annexure-3 (Colly):** Copy of the complaint by Sh.Vinod Pandey and notice on the complaint by Lokayukta UP.	**18-24**

Place: DELHI
Date: 18.11.2023

CHANDERJEET SINGH
for INDO TECH WASTE SOLUTION

SUMIT BABBAR, ADVOCATE
LEGAL AVENUES (LAW FIRM FOR APPELLANT)
B-5, GULMOHAR PARK, NEW DELHI-110 049
+91-9818626009; consult.legalavenues@gmail.com

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO.13 OF 2023

IN THE MATTER OF:

INDOTECH WASTE SOLUTION … APPELLANT

VERSUS

UP SEIAA & ORS. … RESPONDENTS

REJOINDER TO REPLY FILED BY UP PCB-RESPONDENT NO.4

1. At the outset, the appellant would like to highlight the important issues that are raised in the subject appeal which the Respondent No.4 conveniently ignored to answer and rather submit the issues which are already been dealt with and adjudicated upon by the very same respondent and cannot be reagitated again and again as per their convenience & mischief. It is pertinent to mention that in addition to not replying to the illegalities being committed by Respondent No.4, R-4 to mislead Hon'ble NGT did not accept and disclose the improprieties committed by the concerned authorities including Respondent No.4 in the matter M/s Punahchakran Pvt. Ltd. Infact, the Hon'ble NGT in O.A.622/2022 came heavily on the Respondents/ authorities for the improprieties being committed in the matter and rejected all the permissions illegally granted to M/s Punahchakran Pvt. Ltd. by the authorities flouting the applicable laws, rules and guidelines governing in the matter of CBWTF.

2. It is all the clearer that throughout the dishonest intentions of the

Respondents including Respondent No.4 is to hamper the establishment of CBWTF by the appellant and blindly support M/s Punahchakran Pvt.Ltd. which was declared and null and void. The submissions in the reply filed by Respondent No.4 that during inspection it was found that another CBWTF plant named M/s Punahchakran Pvt.Ltd. is situated at a distance of 40kms, so the site is not confirming to the Revised Guidelines of CBWTF published by CPCB is mischievous & wrong on many counts.

3. ***Firstly***, the said fact was always known to the Respondent No.4 and was discussed in all the hearings and adjudicated in favour of the appellant as is evident from the orders passed while granting EC which was recommended by R-3 vide Minutes of 695th SEAC-1 Meeting dated 19/10/2022 and later R-2, vide its 670th Meeting by SEIAA held on 14/11/2022, the EC was granted. The Respondent No.4 inspected the site several times before the EC was recommended and later granted and only to mention the later inspection is abundantly clear that they are trying to hide the illegal rejection of EC & other permissions in the matter.

4. ***Secondly***, the fact that the reply nowhere mentions the judgment passed by the Hon'ble NGT in OA 622/2022 wherein this Hon'ble Tribunal seriously criticized and hold the Respondents/ authorities responsible for intentional oversight of the applicable laws and illegally permissions granted in that matter. The same respondent not only filed affidavit supporting the unauthorized actions and decisions taken in that matter but taken

completely different view in so far as granting Consent to Establish in the matter of CBWTF is concerned. It is apposite to mention that in the OA 622/2022, UPPCB-Respondent No.4 herein stated under affidavit that the CTE is to be granted to CBWTF without the prior condition of EC in accordance with ***the order dated 20/09/2021 issued by MoEF & CC under Sec.5 of the Environment (Protection) Act, 1986***. Meaning thereby that the condition of prior EC for grant of CTE is not at all required in the case of CBWTF as per the Respondent. But within the span of few months Respondent No.4 stated differently under affidavit before the same Hon'ble Tribunal in so far as adjudicating CBWTF cases by authorities in UP.

5. It is pertinent to mention here that in the present case the submission that the CTE was rejected since no Environment Clearance was issued by SEIAA is completely false as the EC was granted on 14/11/2022 and the Appellant applied for Consent to Establish on 02/12/2022, after grant of EC and CTE was rejected on 18/01/2023 i.e. after grant of EC, thereby deposing falsely. It is respectfully submitted that this Hon'ble Tribunal is requested to take a serious view in the matter as the same authorities previously in OA 622/2022 submitted falsely to support the illegalities committed in that matter and now in the present appeal taking support of the previous illegalities, already held against them by this Hon'ble NGT in OA 622/2022 once again trying to deceive this Hon'ble Tribunal. At this juncture, it becomes all the more relevant that the Respondents, including

R-4 must disclose truly and fairly for proper adjudication in the matter.

6. ***Thrirdly***, Respondent No.4 vide present reply is purposefully trying to hide the vital facts and bring complete and clear picture in the matter. The submission in the appeal is already clear that an Appeal is already pending against the rejection of CTE under Water Act & Air Act and Respondent No.4 deceitfully ignoring the said fact and once again wrongly submitted under affidavit that as on date no CTE application is pending. The Hon'ble Allahabad High Court clearly directed vide order dated 25/05/2023 passed in W.P. No.18044 of 2023 to decide the matter within 45 days of appeal. Not only the concerned Respondent/s are in contempt of the mandated direction/s by the Hon'ble High Court but is also guilty of submitting falsely under oath before the Hon'ble NGT that no application is pending on date for granting CTE in the matter.

7. All the relevant documents as stated above are already filed in present appeal and the appellant craves leave of this Hon'ble Tribunal to read the same as part and parcel of the present Rejoinder and the same are not repeated for the sake of convenience and to avoid repetition.

8. The permissions once granted after scrutinizing the matter as per law is illegally reversed without any justifiable reasoning, completely unprecedented and non-supportive of any provision under law which allows the authorities to revisit the decisions on their own only to accommodate illegal establishment of CBWTF which was later declared

illegal as null and void. The applicable law does not grant any powers to the concerned authorities, the way they approached the present matter including Respondent No.4.

9. Serious enquiry is conducted by the higher authorities against the corrupt officials on the complaint of the Appellant dated 16/02/2023 on which there is already a direction by then Special Secretary Environment Sh.Gaurav Verma IAS vide letter 247 / वि0 स0 (जी)/23 दिनांक 01 मार्च 2023, which is available easily online on various platforms but not yet disclosed, acted upon and handed over to the Appellant. Copy of the report/ letter 247 / वि0 स0 (जी)/23 दिनांक 01 मार्च 2023, available online is **Annexure-1**. Not only this Hon'ble Allahabad High Court in the pending matter WRIT - C No. - 5860 of 2023 titled Girdhari Prasad Pathak vs. State of UP & Ors. came heavily on the top officials for misusing the powers and flouting the mandated laws who are the concerned officials of R-4. Copy of the orders dated 15/05/2023 & 22/05/2023 are annexed as **Annexure-2 (Colly)**. Further, it is not out of place to mention here that even the Lokayukta, UP is also investigating into serious allegations levelled against the higher official/s of R-4 for abusing the powers and accounted assets on the complaint of Sh.Vinod Pandey, Advocate Allahabad. Copy of the complaint by Sh.Vinod Pandey and notice on the complaint by Lokayukta UP are annexed as **Annexure-3 (Colly)**.

10. All these goes to the root of the matter, that it is only at the instance of the few officials the appellant is specifically targeted first to illegally establish CBWTF at Babrala and later to illegally reject the permissions already granted to the Appellant. The Member Secretary, UP PCB and Member Secretary, SEIAA, UP which empowers the concerned official to have unprecedented overlapping powers over the two independent authorities who are supposed to oversee the actions but are working in sync leading to present situation in many cases in the State of Uttar Pradesh.

In the light of the submissions made above, it is respectfully prayed that the Hon'ble Tribunal may kindly decide the appeal in favour of the appellant and take stringent action against the errant official who not only committed improprieties to suppress the constitutional rights of the appellant and depose falsely in the matter but also causing irreparable loss to the appellant as huge investment is already made in the matter.

Prayed accordingly

Place: DELHI
Date: 18.11.2023

CHANDERJEET SINGH
for INDO TECH WASTE SOLUTION

SUMIT BABBAR, ADVOCATE
LEGAL AVENUES (LAW FIRM FOR APPELLANT)
B-5, GULMOHAR PARK, NEW DELHI-110 049
+91-9818626009; consult.legalavenues@gmail.com

**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

APPEAL NO.13 OF 2023

IN THE MATTER OF:

INDOTECH WASTE SOLUTION ... APPELLANT

VERSUS

UP SEIAA & ORS. ... RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Chanderjeet Singh, S/o Ramveer Singh, aged about 46 years, Resident of 232, Vidhya Vihar, Pitampura, Delhi – 110034, do hereby solemnly declare and affirm as under:

1. That I'm the partner of M/s Indotech Waste Solution and in that capacity authorised and competent to swear this affidavit.
2. That the present rejoinder is filed under my instructions and I have gone through the contents of the same, which are true and correct to my knowledge and understanding and are based on legal advice.

I identify the deponent who has Signed/Put T.I. in my presence

INDO TECH WASTE SOLUTION

Deponent

Verification:

I, the deponent above named, do hereby solemnly declare and affirm that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Delhi on this 18th day of November, 2023.

18 NOV 2023

NOTARY
A.N. SINGH
Supreme Court of India
Regd. No. 16959
Exp. Date 31.01.2025
GOVT. OF INDIA

The contents of the affidavit which have been read & explained to me are true and correct
Notary

INDO TECH WASTE SOLUTION

ATTESTED
A.N. Singh, Adv.
Notary Public
Govt. of India, New Delhi

18 NOV 2023

Annexure - 1

प्रेषक,

गौरव वर्मा
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उ0प्र0 शासन।

पत्रांक 247/वि0स0(जी)/23 दिनांकः 01 मार्च, 2023

विषयः– मै0 इण्डो टेक वेस्ट साल्यूशनस कासगंज उ0प्र0 दि0 CBWTF की परियोजना को स्थापित करने और उद्देश्यपूर्ण रूप से निलंबित करने के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी और सहमति निर्गत करने में देरी एवं अवैध रूप से रोक लगाने के संबंध में। फाइल सं0 6497/प्रस्ताव संख्या SIA/UP/MIS/66542/2021 पर मै0 पुनःचक्रण प्रा0लि0 को बबराला में स्थापित करने हेतु अवैध पर्यावरण मंजूरी/अनुमति को रदद करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शिकायत पत्र 226/ए0सी0एस0/123, दि0 16.02.2023 के संबंध में जांच करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया है। रमन कुमार इण्डो टेक वेस्ट साल्यूशंस ने अपने शिकायती पत्र दि0 16.02.2023 में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया है।

1. मै0 इण्डो टेक वेस्ट साल्यूशंस, कासगंज उ0प्र0 ने दि0 22.01.2021 एवं दि0 12.02.2021 में CBWTF स्थापित करने हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन प्रार्थना पत्र अपलोड किया था। इस आवेदन पत्र पर दि0 19.10.2022 को SEAC-1 द्वारा अपनी 695वीं बैठक में पर्यावरण स्वीकृति (ई0सी0) के लिए अनुमोदन दिया गया था। इसके आधार पर SEIAA द्वारा दि0 14.11.2022 को 670वीं बैठक में ई0सी0 प्रदान करने की संस्तुति की है। परन्तु आज दिनांक तक भी 91 दिन व्यतीत होने पर भी पर्यावरणीय स्वीकृति (ई0सी0) प्रदान नहीं की है। बैक डेट में शिकायत के आधार पर आवेदक के मामले में अवैध रूप से देरी की जा रही है। ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 में विहित पर्यावरण स्वीकृति (ई0सी0) जारी करने का 45 दिन का स्पष्ट प्राविधान है, परन्तु 91 दिनों के बाद भी ई0सी0 जारी नहीं किया है। अधिकारीगण पूर्वाग्रह से ग्रसित है व कानून में गारंटीकृत जीवन के अधिकार को छीन रहे है व प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत का अनुपालन नहीं कर रहे है। पूर्व में भी दि0 10.01.2023 , 16.01.2023, 23.01.2023, 09.02.2023 और 13.02.2023 को इमेल से शिकायत दर्ज करायी है।
2. मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 बबराला संबल में CBWTF (Common Bio Medical Waste Treatment Facility) को गैर कानूनी रूप से मंजूरी प्रदान की है। दि0 16.06.2022 को SEAC की 663वीं बैठक के कार्यवृत्त में इस कंपनी से कवर किये जाने वाले क्षेत्र के लिए अंतर विश्लेषण रिपोर्ट (Gap Analysis) , सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उसमें जानबूझकर नये CBWTF मै0 इंडो टेक वेस्ट साल्यूशंस प्रा0लि0 कासगंज उ0प्र0 भी प्रस्तावित एवं विचाराधीन होने का जान बूझकर उल्लेख नहीं किया है। संबंधित अधिकारियों द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। मै0 पुनःचक्रण प्रा0लि0 द्वारा 07 माह बाद दि0 11.08.2021 में आवेदन किया है परन्तु उनको दि0 05.07.2022 में SEIAA ने ई0सी0 देने की संस्तुति की है। दि0 13.07.2022 में ई0सी0 प्रदान की गई परन्तु CTE (Content of Establish) दि0 26.04.2022 में

बिना ई0सी0 ही दे दी गई। मै0 इण्डो टेक वेस्ट प्रा0लि0 द्वारा दि0 22.01.2021 व 12.02.2021 में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र देने के बाद भी दि0 14.11.2022 में SEIAA द्वारा सहमति के बाद भी अबतक ई0सी0 अपलोड नहीं की गई व सी0टी0ई0 दि0 19.01.2023 में ई0सी0 न होने के कारण निरस्त कर दी है। मै0 पुनःचक्रण प्रा0लि0 को लाभ पहुँचाने के कारण मै0 इण्डो टेक वेस्ट प्रा0लि0 की ई0सी0 रोकी गई है।

3. मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 ने CBWTF के लिए पर्यावरण कानून और BMW (Bio Medical Waste) नियमों की धज्जियां उड़ाते हुये सरकारी अभिलेखों में जालसाजी की है। टी0ओ0आर0 के लिए ई–25 और ई–26 भूखण्डों को आवंटन से पहले ही ई0सी0 हेतु आवेदन दि0 11.08.2021 को कर दिया है व टी0ओ0आर0 की अनुमति भी दे दी गई। भूखण्ड से ई–25 व ई–26 का आंवटन UPSIDA द्वारा दि0 15.09.2021 में किया गया है। अतः भूखण्ड के आवंटन से पूर्व ही टी0ओ0आर0 का दिया जाना अवैध है व ऐसा टी0ओ0आर0 शून्य हो जाता है। CPCB द्वारा जारी CBWTF के दिशा–निर्देशों के Clause-2 में स्पष्ट उल्लेख है कि " For CBWTF prior allocation of land is must before taking necessary approvals from authority" संलिप्त अधिकारियों द्वारा अनुमति देने की शीघ्रता एवं आवश्यकता इतनी प्रबल और शक्तिशाली थी कि भूमि आवंटन को अनदेखा कर दिया। आवंटन पत्र ई–25, ई–26 भूखण्डों से स्पष्ट है कि इनका संयुक्त (1801 वर्ग मी0) (1800 वर्ग मी0) क्षेत्रफल 3601 वर्ग मीटर है जबकि बी0एम0डबलू0 नियम–2016 व CBWTF धारा 7 (1) के तहत एक एकड़ (4047 वर्ग मीटर) भूमि होनी आवश्यक है। आई0ई0ए0 अधिसूचना 2006 धारा 8 (vi) के अनुसार जानबूझकर तथ्यों को छुपाकर, झूठी, भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने पर पर्यावरण मंजूरी (ई0सी0) रद्द मानी जायेगी।

4. UPSIDA ने भूखण्ड सं0 ई–25 व ई–26 मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 को औद्योगिक उपकरण फैब्रीकेशन (ETP, STP, WTP,C) (हर श्रेणी) के निर्माण के उद्देश्य से आवंटित किये है न कि CBWTF (लाल श्रेणी) उद्योग के लिए। मै0 पुनः चक्रण द्वारा आवंटन पत्रों में आवंटन के उद्देश्य पर सफेद कागज लगा कर छुपाया गया है व नकली / कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से अनुमति प्राप्त की है। इन प्लांटो के मूल व नकली आवंटन पत्र संलग्न है। नकली आवंटन पत्र ई0सी0 वेबसाइट पर भी देखे जा सकते है। इसमें संबंधित अधिकारी भी शामिल है। जानबूझकर तथ्यों को छुपाना, जालसाजी व अनियमितता एक आपराधिक श्रेणी का कृत्य है। फाइल सं– 6497 / proposal No. SIA/UP/MIS/66542/2021 के माध्यम से मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 का आवेदन निरस्त योग्य बनाता है। Pre-Feasibility Report के साथ उक्त कंपनी ने SEIAA के समक्ष शपथपत्र दिया था कि यदि तथ्य भ्रामक व झूठे पाये जाते हैं तो परियोजना अस्वीकार कर ई0सी0 निरस्त कर दी जाये।

इसके साथ ही मै0 इण्डो टेक वेस्ट सोलूशंस को CBWTF स्थापित करने की ई0सी0 प्रदान करने की मांग की है। मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 को दी गई ई0सी0 व सी0टी0ई0 रद्द करने की मांग की है।

PARTICULARS	INDO TECH WASTE SOLUTIONS	PUNANCHAKRAN PRIVATE LIMITED
ONLINE APPLICATION FOR CBWTF	22.01.2021 & 12.02.2021	11.08.2021 (Without allotment and legal right over land)
TOR APPLICATION GRANTED SEAC SEIAA LETTER ISSUED BY SEIA	09.03.2021 21.05.2021 11.06.2021	NOT HELD NOT HELD STANDARD TOR GRANTED 17.08.2021 online (without allotment and legal right over land)
EIA REPORT	27.11.2021	18.02.2022
PUBLIC HEARING CALL	30.11.2021	NOT APPLICABLE

PUBLIC HEARING DATE Delayed by Regional Officer by 7 months on some or other pretext)	06.06.2022	NOT APPLICABLE
SUBMISSION OF EC application (form B)	22.07.2022	18.02.2022
RECOMMENDATION OF EC BY SEAC	19.10.2022	5.04.2022 & 16.06.2022
EC GRANTED BY SEIAA	14.11.2022	05.07.2022
EC CERTIFICATE	NOT UPLOADED	13.07.2022
CONSENT TO ESTABLISH	19.01.2023 (REJECTED for WANT of EC)	26.04.2022 (ACCEPTED AND GRANTED WITHOUT EC

उक्त प्रकरण की जांच के लिए दोनो कम्पनियों, उपनिदेशक पर्यावरण एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण / सदस्य सचिव (SEIAA) को पत्र भेजकर उनका पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। मै0 इण्डोटेक वेस्ट सालूशंस प्रा0लि0 के प्रतिनिधि द्वारा दि0 20.02.2022 को उपस्थित होकर शिकायत की पुष्टि की है। अजय शर्मा सदस्य सचिव UPPCB/SIAA ने अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत किया है।

मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 द्वारा अपने प्रत्यावेदन दि0 27.02.2023 में स्पष्ट किया है कि दि0 01.07.2021 में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण, मुरादाबाद द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि मुरादाबाद, संभल व रामपुर में 100000 से अधिक बेड है व संभल में CBWTF की आवश्यकता है। इसके उपरांत विभिन्न क्लीयरेन्स व NOC'S के लिए आवेदन दिया है। हमारे द्वारा CBWTF स्थापित करने का उपयुक्त स्थल / (प्लाट सं0 ई–25, ई–26, बबराला, संभल) चयन कर टी0ओ0आर0 के लिए आवेदन दि0 11.08.2021 में SEIAA में प्रस्तुत किया। CBWTF के नये दिशा–निर्देश में पूर्व भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। कवरेज एरिया की पहचान व CBWTF स्थापित करने का उचित स्थल चिन्हित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी UPPCB की है। गैप एनालिसिस के उपरान्त UPPCB को संबंधित विभाग को CBWTF स्थापित करने का स्थल चिन्हित कर भूआवंटन हेतु कार्यवाही करने के लिए लिखना है। मै0 पुनः चक्रण द्वारा UPSIDA में CBWTF स्थापना हेतु भूआवंटन प्रार्थनापत्र दि0 06.07.2021 में प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र में कुछ कमियों के कारण आवंटन नहीं हो सका। कमियों को दूर कर पुनः भूआवंटन प्रार्थना पत्र दि0 13.08.2021 में प्लाट सं0 ई–25, ई–26 हेतु प्रस्तुत किया गया। मस्तिष्क स्थिर न होने के कारण भूआवंटन में fabrication of industrial equipments (ETP, STP, WTP, C) अंकित कर दिया था। बबराला औद्योगिक क्षेत्र में हरी, नारंगी, लाल व सफेद समस्त प्रकार के उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। दि0 15.09.2021 में मै0 पुनः चक्रण को भूखण्ड सं0 ई–25, 26 आवंटित कर दिये गये। पुनः मस्तिष्क बदल गया और CBWTF स्थापित करने का मन बनाकर उद्योग का प्रकार UPSIDA से बदलवाकर CBWTF स्थापित करने हेतु करा लिया है। UPSIDA के अधिकारियों से वार्ता / बैठक कर इस हेतु विचार विमर्श किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि CBWTF स्थापित करने हेतु ई0सी0 व सी0टी0ई0 जारी होने के उपरान्त भूखण्डों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बदल कर CBWTF कर दी जायेगी। टी0ओ0आर0 दि0 17.08.2021 में जारी किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश सं0 FNo.-IA3-22/19/2021-IA-III (E 164361) दि0 20.09.2021 के अनुसार ई0सी0 एवं सी0टी0ई0 दोनों अलग–अलग संस्थाओं से जारी किये जाते है, अतः एक साथ आवेदन किये जा सकते है। उक्त भूखण्डों ई– 25,26 की लीज डीड भी परिवेश पोर्टल पर ई0सी0 आवेदन के साथ अपलोड किये गये है जिसमें भूखण्ड आवंटन का प्रयोजन fabrication of industrial euipment अंकित है। आंवटन पत्रों में कोई छेड़छाड़ व फर्जीवाड़ा नहीं किया है। भूखण्ड सं0

a

ई–25 व ई–26 का कुल क्षेत्रफल 3601 वर्ग मीटर है। सी.पी.सी.बी. नियमावली की धारा 7 (बी) CBWTF में हेतु भूमि को 0.5 एकड़ कर दिया है। सी0टी0ई0 में स्पष्ट उल्लेख है कि बिना ई0सी0 के मौके पर निर्माण नहीं किया जायेगा।

श्रीमती श्रुति शुक्ला, उपनिदेशक, पर्यावरण निदेशालय , ने अपनी आख्या दि0 28.02.2023 में कथन किया है कि मै0 इण्डो टेक वेस्ट साल्यूशंस ने की परियोजना हेतु फाइल सं0 6191 दि0 04.08.2022 में परिवेश पोर्टल से प्राप्त किया गया SEAC-1 की 695वीं बैठक दि0 19.10. 2022 में मै0 इण्डो टेक को पर्यावरण अनापत्ति दिये जाने की संस्तुति की है। SEIAA की 670वीं बैठक दि0 14.11.2022 में पूर्व ई0सी0 प्रदान करने की संस्तुति की है। दि0 28.11.2022 को पूर्व ई0सी0 का आलेख हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किया गया। इसी बीच मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 द्वारा शिकायती पत्र दि0 30.11.2022 सदस्य सचिव, SEIAA के समक्ष प्रस्तुत किया। अध्यक्ष SEIAA द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण काफी समय तक SEIAA की बैठकें आयोजित नहीं करायी जा सकी। शासन के निर्देश के क्रम में पुनः SEIAA की बैठकें आयोजित होने पर प्रा0 प्रार्थना दि0 10.01.2023 में विचारार्थ रखा गया। इसके बाद SEIAA ने उक्त शिकायती पत्र पर UPPCB से आख्या हेतु भेजा गया व मै0 इण्डोटेक वेस्ट साल्यूशंस की ई0सी0 तक तक रोकने का आदेश दिया। उक्त शिकायत पर UPPCB द्वारा आख्या दि0 20.02.2023 में दी गई, जिसमें उल्लिखित है कि मे0 इण्डो टेक वेस्ट साल्यूशंस के प्रस्ताव में गैप एनालिसिस रिपोर्ट न होने एवं लोक सुनवायी में आपत्ति आने के कारण पुनः प्रस्ताव को SEIAA को विचारार्थ रेफर कर दिया गया। इस कारण उक्त परियोजना पर निर्णय लेने में समय लग रहा है।

समस्त पक्षों के अभिलेखों का परीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि:–

1. मै इण्डो टेक वेस्ट साल्यूशंस, कासगंज उ0प्र0 ने पर्यावरण सहमति (ई0सी0) हेतु पर्यावरण निदेशालय के परिवेश पोर्टल पर आनलाइन प्रार्थना पत्र दि0 22.01.2021 एवं 12.02.2021 में अपलोड किया है। टी0ओ0आर (Term of Reference) हेतु सहमति SEAC ने दि0 09.03.2021 में प्रदान की है, SEIAA ने दि0 21.05.2021 में सहमति उपरांत दि0 11.06.2021 में UPPCB को पत्र भेजा है। ई0आई0ए0 रिपोर्ट दि0 27.11.2021 सार्वजनिक सुनवायी का पत्र दि0 27.11.2021 में जारी किया परन्तु सार्वजनिक सुनवायी 07 माह बाद दि0 06.06.2022 में UPPCB द्वारा करायी गई है। कम्पनी द्वारा ई0सी0 हेतु प्रार्थनापत्र (फार्म–बी) दि0 22.07.2022 में प्रस्तुत किया है, SEAC द्वारा दि0 19.10.2022, में संस्तुति प्रदान की है, SEIAA द्वारा संस्तुति दि0 14.11.2022 में दी है परन्तु अजय शर्मा, सदस्य सचिव SEIAA ने ई0 सी0 प्रमाण पत्र अबतक परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 14.09.2006 की धारा 7 (i) (iii) Stage (3) Public Consultation (III) के अनुसार सार्वजनिक सुनवायी UPPCB द्वारा 45 दिवसों में की जाने का प्राविधान है परन्तु इस केस में लगभग 5 माह (156 दिवसों) बाद की गई है। धारा–8 में SEIAA की संस्तुति के आद ई0सी0 जारी करने हेतु 45 दिवसों का समय नियत है परन्तु 14. 11.2022 से अब तक ई0सी0 जारी नहीं की गई।

अजय शर्मा, सदस्य सचिव द्वारा सार्वजनिक सुनवायी एवं ई0सी0 जारी करने में अनावश्यक विलम्ब किया गया है।

मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 ने परिवेश पोर्टल पर आनलाइन प्रा0 पत्र दि0 11.08.2021 में अपलोड किया है। टी0ओ0आर0 प्रार्थनापत्र दि0 11.08.2021 मे स्वीकार कर टी0 ओ0 आर0 सहमति दि0 17.08.2021 में प्रदान कर दी गयी। ई0आई0ए0 रिपोर्ट दि0 18.02.2022 में ई0सी0 प्रार्थना पत्र फार्म–बी दि0 18.02.2022 में जमा किया गया, SEAC ने दि0 05.04.2022 व दि0 16. 06.2022 में संस्तुति दी है, दि0 05.07.2022 में SEIAA द्वारा संस्तुति दी गई है व दि0 13.07. 2022 में ई0सी0 अपलोड कर CTE (Consent to Establish) दि0 26.04.2022 में जारी किया गया है। इस पूरे प्रकरण में मै0 पुनः चक्रण को लाभ पहुँचाने एवं मै0 इण्डो टेक वेस्ट सालूशंस की

EC/CTE अनावश्यक विलंबित करने के दोषी अजय शर्मा, सदस्य सचिव, SEIAA/UPPCB है। इस प्रक्रिया में ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 मे दी गई समय सीमा का भी अनुपालन नहीं किया गया है।

2. मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 बवराला संभल द्वारा प्रस्तावित CBWTF हेतु UPPCB सदस्य सचिव द्वारा गैप एनालिसिसि रिपोर्ट सं0–G38150 दि0 03.06.2022 प्रस्तुत की है, जिसमें यह उल्लेख किया है कि 75 कि0मी0 की परिधि में कोई अन्य CBWTF प्रस्तावित नहीं है जबकि मै0 इण्डो टेक वेस्ट सोलूशंस द्वारा दि0 22.02.2021 में ही CBWTF हेतु ई0सी0 का प्रार्थना पत्र अपलोड कर दिया था। इन दोनों प्रस्तावित CBWTF में मात्र 38–40 कि0मी0 का अंतर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत Common Biomedical Waste Treatment and Disposal Facilities (CBWTF) स्थापित एवं संचालन के संबंध में दि0 21.12.2016 में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये है। UPPCB को आगामी 10 वर्षों की आवश्यकता एवं बायोमेडिकल्स वेस्ट सृजित होने की मात्रा के अनुसार प्रत्येक 75 कि0मी0 की त्रिज्या में CBWTF स्थापित करने की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है। यदि किसी स्थान पर 10000 से अधिक हास्पिटल बेड उपलब्ध है तब 75 कि0मी0 की शर्त को शिथिल कर दूसरा CBWTF 75 कि0मी0 की सीमा में लगाया जा सकता है। अतः सदस्य सचिव, UPPCB को निर्देशित करना उचित होगा कि संपूर्ण प्रदेश का नये सिरे से गैप एनालिसिस, 10000 बेडों की उपलब्धता एवं 75 कि0मी0 के कवरेज एरिया, से करे एवं गैप की पहचान कर विज्ञप्ति निकालें, जिससे और अधिक संख्या में CBWTF स्थापित हो सके व 48 घंटों मे बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि सही प्रकार से गैप एनालिसिस किया जाये तो उपरोक्त दोनों CBWTF संचालित हो सकते हैं । मै0 इण्डो टेक वेस्ट साल्यूशंस प्रा0लि0 की ई0सी0 को बिना कारण अजय शर्मा, सदस्य सचिव, UPPCB/SEIAA द्वारा रोका गया है, जिससे मै0 पुनः चक्रण को लाभ दिया जा सके।

3. मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 द्वरा ई0सी0 हेतु दि0 11.08.2021 में आवेदन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया है, जबकि UPSIDA , क्षेत्रीय कार्यालय बरेली द्वारा बबराला संभल इन्डस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक भूखण्ड सं ई–25 (1801 sqm) ई–26 (1800sqm) का प्रार्थना पत्र दि0 13.08.2021 में दो भूखण्ड प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर दि0 15.09.2021 में fabrication of industrial equipment (ETP/SP/WTP/E) हेतु आवंटित किया है। यह ग्रीन श्रेणी का उद्योग है। SEIAA में TOR का आवेदन दि0 11.08.2021 में देने पर दि0 17.08.2021 में जारी कर दिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ओ0एम0 सं0 J-11011/321/2016-IA II (I) दि0 27.04.2018 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों की परियोजनाओं में पब्लिक कन्सलटेशन से छूट प्रदान की गई है। इस प्रकरण में इसकी आवश्यकता नहीं है। टी0ओ0आर0 की अनुमति UPPCB एवं पर्यावरण निदेशालय द्वारा भूमि के आवंटन से पूर्व ही दे दी गई है। Revised guidelines for common biomedical waste treatment and disposal facilities के Clase-2 criterion for development of a new CBMWTDF for a locality region के 2(e) में उल्लेख है कि " upon allocation of site to the proponent , the proponent is required to take necessary approvals as required under the EPA 1986 for development of the new CBWTF in accordance with these guidelines" इसके अनुसार भूमि आवंटन के बाद ही मै0 पुनः चक्रण द्वारा ई0सी0 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता था परन्तु भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र UPSIDA में ई0सी0 हेतु आनलाइन आवेदन करने के 02 दिन बाद किया है। भूमि आवंटन टी0ओ0आर0 जारी होने के बाद हुआ है । यह घोर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त CBWTF स्थापित करने के लिए एक एकड़ (4047 वर्ग मी0) भूमि आवश्यक है। जिसमें नये CBWTF (25 लाख से अधिक आबादी वाले शहर व ग्रामीण) के

लिए भूमि में 0.5 एकड़ तक छूट UPPCB द्वारा प्रदान की जा सकती है। मै0 पुनः चक्रण के पास 3601 वर्ग मी0 भूमि उपलब्ध है।

4. मै0 पुनः चक्रण के UPSIDA द्वारा भूमि आवंटन पत्रो में fabrication of Industrial equipments ETP/STP/WTP/C अंकित है परन्तु CBMWF एक लाल श्रेणी का उद्योग है। मै0 पुनः चक्रण द्वारा दोनों आवंटन पत्रों में कागज/सफेदा लगाकर fabrication of ETP/STP/WTP/C को छुपा कर ई0सी0 हेतु परिवेश पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर दिया है। मै0 पुनः चक्रण द्वारा बाद में दि0 19.09.2022 में उपरोक्त औद्योगिक भूखण्डों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट UPSIDA से बदलवाकर Bio Medical Waste Treatmnet Plan करा ली है। परन्तु यह कार्यवाही ई0सी0 (13.07.2022) एवं सी0टी0ई0 (26.04.2022) जारी होने के बाद करवायी है। ई0सी0 जारी होने के समय भूखण्ड का आवंटन fabrication of industrial equipments ही था। मै0 पुनः चक्रण द्वारा ई0सी0 के आवेदन के साथ शपथपत्र दि0 11.12.2022 प्रस्तुत किया है कि समस्त सूचनायें व अभिलेख सत्य है व यदि झूठे तथ्य व गलत अभिलेख पाये जाने पर परियोजना व ई0सी0 निरस्त कर दिया जाये। अजय शर्मा , सदस्य सचिव UPPCB द्वारा मै0 इण्डो टेक वेस्ट साल्यूशंस की सी0टी0ई0 दि0 19.01.2023 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अभी ई0सी0 जारी नहीं हुई है। मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 को बिना ई0सी0 जारी किये सी0टी0ई0 03 माह पूर्व ही जारी कर दिया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश सं0 F.No. IA3-22/19/2021-IA III (E 164361) दि0 20.09.2021 के अनुसार ई0सी. एवं सी0टी0ई0 दोनों के लिए एक साथ प्रार्थनापत्र दे सकते हैं क्योंकि दोनों अलग-अलग संस्था द्वारा जारी किये जाते हैं। मौके पर निर्माण कार्य ई0सी0 प्राप्त करने के बाद ही प्रारंभ करेंगे।

इस प्रकरण से संबंधित ओ0ए0 सं0 622/2022 मा0 राष्ट्रीय हरित ट्रिबुनल ने अनिरूद्ध पवार बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य प्रचलित है। एन0जी0टी0 एक्ट 2010 की धारा 18 (1), 14, 15 एवं 18 के अंतर्गत मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 प्लाट सं0 ई-25, 26 UPSIDA बबराला, संभल में प्रस्तावित CBWTF को जारी ई0सी0 दि0 30.07.2022 एवं सी0टी0ई0 दि0 26.04.2022 के निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। एन0जी0टी0 ने अपने आदेश दि0 02.09.2022 में मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 द्वारा CBWTF स्थापित करने का कार्य अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में अजय शर्मा, सदस्य सचिव, UPPCB/SEIAA की सत्यनिष्ठा अत्यंत संदिग्ध है। मै0 इण्डोटेक वेस्ट सालूशंस के साथ पक्षपात पूर्ण कार्यवाही कर ई0सी0 को रोककर मे0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 को अनुचित व नियम विरूद्ध ढंग से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तथ्यों को छुपाने व बिना भूमि आवंटन के भी टी0ओ0आर0 प्रदान किया गया। एक ओर उ0प्र0 सरकार इनवेस्ट समिट कर निवेश पर जोर दिया जा रहा है और दूसरी ओर सदस्य सचिव, UPPCB/SEIAA कम्पनी को हतोत्साहित कर ई0सी0 जारी करने में विलम्ब किया जा रहा है व गलत टी0ओ0आर0/ई0सी0/सी0टी0ई0 जारी किये जा रहे हैं। यह घोर अनियमितता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निम्नलिखित कार्यवाही प्रस्तुत है।

1. सदस्य सचिव, UPPCB/SEIAA को निर्देशित किया जाये कि मै0 इण्डो टेक वेस्ट साल्यूशंस का गैप एनालिसिस कर ई0सी0 निर्गत करने की कार्यवाही करें।
2. मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 के लिए गैप एनालिसिस आख्या में मै0 इण्डो टेक वेस्ट साल्यूशंस का नाम भी अंकित करें। समस्त उ0प्र0 का नये सिरे से 75 कि0मी0 व 10000 हास्पिटल बेड के आधार पर गैप एनालिसिस की विस्तृत व समग्र रिपोर्ट बनायें व स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थलों को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें। इससे

इच्छुक कम्पनियॉ अधिक से अधिक CBWTF स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थलों को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें। इससे इच्छुक कम्पनियॉ अधिक से अधिक CBWTF स्थापित कर सकेंगी व बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण 48 घंटों में हो सकेगा।

3. मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 द्वारा भूमि आवंटन से पूर्व ई0सी0 हेतु आवेदन किया है। UPSIDA के भू आवंटन पत्रों में सफेदा/कागज से fabrication of industrial equipments (ETP/STP/WTP/C) को छुपा कर ई0सी0 हेतु ऑनलाइन आवेदन दिया है। सदस्य सचिव, UPPCB/SEIAA को निर्देशित करने की संस्तुति की जाती है कि मै0 पुनः चक्रण प्रा0लि0 की ई0सी0/सी0टी0ई0 निरस्त की जाये।
4. अजय शर्मा, सदस्य सचिव, UPPCB/SEIAA की सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने के कारण इनके कार्यालय की गहन जांच करायी जाये। कम्पनियों के साथ पक्षपता पूर्ण कार्यवाही करना, नियम विरूद्व लाभ पहुँचाना इनकी निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह् उठाता है। इतने संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण पद पर बने रहने की समीक्षा करने की संस्तुति की जाती है।

(गौरव वर्मा) 1/3/23
विशेष सचिव

Court No. - 3

Case :- WRIT - C No. - 5860 of 2023

Petitioner :- Girdhari Prasad Pathak
Respondent :- State Of U.P. And 6 Others
Counsel for Petitioner :- Lokesh Kumar Dwivedi
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Surya Prakash Kesarwani,J.
Hon'ble Anish Kumar Gupta,J.

1. Heard Sri Lokesh Kumar Dwivedi, learned counsel for the petitioner, Sri Alok Singh, learned counsel for respondent nos. 1, 2, 4, 5, 6 & 7 and Dr. H.N. Tripathi, learned counsel for the respondent no. 3.

2. An affidavit of compliance on behalf of respondent nos. 1 & 4 sworn by Dr Roshan Jacob, dated 12.05.2023, affidavit of compliance on behalf of respondent no.3 by means of personal affidavit of Ajay Kumar Sharma, Member Secretary, State Level Environment Impact Assessment Authority, Lucknow, dated 15.05.2023 and an affidavit of compliance on behalf of respondent no.2, dated 13.05.2023 sworn by Sri Manoj Singh, Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P., Lucknow have been filed today which are taken on record. Three affidavits filed today by the petitioner replying the affidavits of respondent nos. 3, 4 & 5 filed on earlier occasion, are also taken on record.

3. We have perused the affidavit of respondent nos. 3 & 4 and we find that both the affidavits are misleading and based on suppression of material facts.

4. In the personal affidavit filed on behalf of respondent nos. 1 & 4, no time schedule has been given despite our specific order dated 08.05.2023. No guidelines with consequential provision for taking action against the erring officers in the matter of issuing OTP for E-MM11 has been filed and instead it has merely been stated in paragraph 4(f) that normally OTP is generated on the same day. This *prima facie* shows that the affidavit is totally misleading inasmuch as in the present set of facts despite interim order of this Court the OTP was issued to the petitioner after about 44 days. Nothing has been stated by the respondent no.1/4 in her personal affidavit that what action has been taken against the erring Officers including penal action.

5. Similarly, the respondent no.3 has very conveniently stated in paragraph 8 of his personal affidavit filed today, that true copy of EIA Notification dated 14.09.2006 (as amended) is being filed as Annexure 3. Perusal of Annexure 3 shows that it is unamended copy of Notification dated 14.09.2006 issued by the Ministry of Environment and Forests, New Delhi. Initially, learned counsel for the respondent no.3 as instructed by the Officers present in Court, stated that it is amended copy but when this Court confronted him that an amendment was brought by Notification dated 15.01.2016, then the respondent no.3 started praying for time to file a fresh affidavit. This, *prima facie,* shows that respondent no.3 is also repeatedly trying to mislead the Court and is suppressing relevant notifications, for the reasons best known to him.

6. No time schedule, stage wise, has been filed alongwith the personal affidavit to indicate a definite time frame for different stages of processing of application for Environment Impact Assessment and Environment Clearance Certificate. In the earlier affidavit also the respondent no.3 suppressed material facts and attempted to mislead which compelled this Court to make some observations in the order dated 08.05.2023.

7. On the request of learned counsel for the respondent nos. 1, 2, 3 & 4, we grant a last opportunity to them to come with clean hands before this Court and file alongwith their personal affidavit a chart of time schedule and provision for proposed action against those who do not observe time schedule.

8. Put up for further hearing as a **fresh case on 22.05.2023 at 10:00 A.M.**

Order Date :- 15.5.2023/vkg

Digitally signed by :-
VINOD KUMAR GOSWAMI
High Court of Judicature at Allahabad

Court No. - 3

Case :- WRIT - C No. - 5860 of 2023

Petitioner :- Girdhari Prasad Pathak
Respondent :- State Of U.P. And 6 Others
Counsel for Petitioner :- Lokesh Kumar Dwivedi
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Surya Prakash Kesarwani,J.
Hon'ble Anish Kumar Gupta,J.

1. Heard Shri Lokesh Kumar Dwivedi, learned counsel for the petitioner, Shri Manish Goyal, learned Additional Advocate General, assisted by Shri Alok Singh learned Standing Counsel for the State respondent No.1, 2, 4 , 5, 6 & 7 and Shri M.C. Chaturvedi, learned Senior Additional Advocate General for respondent No.3.

2. Affidavit of compliance dated 22.05.2023 on behalf of respondent No.3 and personal affidavit on behalf of respondent Nos.1 and 4 dated 19.05.2023, filed today, are taken on record.

3. Prima facie, both the affidavits do not appear to be satisfactory.

4. Both the learned Additional Advocate General state that a holistic view needs to be taken by the State Government for which some time is required.

5. As prayed, list/put up on **12.07.2023 at 2 P.M. for further hearing.**

6. Shri Ajay Kumar Sharma, Member Secretary, State Level Environment Impact Assessment Authority, Lucknow is personally present before this Court. His personal appearance is exempted for the next date fixed.

Order Date :- 22.5.2023
SFH

Digitally signed by :-
SYED FAHIM HUSAIN
High Court of Judicature at Allahabad

Vinod Pandey
LLB, LLM
Advocate High Court
Lucknow Bench-Lucknow

+91-522-2309100

Date : 13/12/2021

Annexure - 3 (Colly)

मा0 मुख्य मंत्री जी,

उत्तर प्रदेश।

मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जो कि जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्थापित एक नियंत्रित शासकीय संस्था है, में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार और बोर्ड में कार्यवाहक सदस्य सचिव के रूप में तैनात श्री अजय कुमार शर्मा की कारस्तानियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। प्रकरण में विन्दुवार स्थिति निम्नवत् हैः—

1. यह कि माह जुलाई, 2021 में श्री आशीष तिवारी, आई0एफ0एस0 को हटाकर ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठ होते हुए भी श्री अजय कुमार शर्मा को एक मोटी रकम रिश्वत के रूप में लेकर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सदस्य सचिव के पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया।
2. यह कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत 03 मुख्य पर्यावरण अधिकारियों/अभियन्ताओं की ज्येष्ठता को अनदेखा (इग्नोर) करते हुए श्री शर्मा से वरिष्ठ होते हुए भी सदस्य सचिव का कार्यभार नहीं दिया गया क्योंकि ऐसे अधिकारीगण तत्कालीन सक्षम प्राधिकारियों की व्यक्तिगत आंकाक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकते थे। इस प्रकार 03 वरिष्ठ अधिकारियों/अभियन्ताओं को अपने से कनिष्ठ अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करना पड़ रहा है जिससे वे अत्यन्त व्यथित एवं कुंठित हैं।
3. यह कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियंत्रणाधीन 28 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, बाँदा, बस्ती, बिजनौर,

अयोध्या, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सहारनपुर, सोनभद्र, उन्नाव व वाराणसी स्थापित हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय अधिकारी के पद पर समूह 'क' के अधिकारियों की तैनाती की जाती है। परन्तु 30 से 40 लाख रूपये की रिश्वत लेकर श्री अजय कुमार शर्मा, सदस्य सचिव द्वारा 08 क्षेत्रीय कार्यालयों– आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, आजमगढ़, बाँदा, कानपुर देहात, लखनऊ व रायबरेली में समूह 'ख' के 02 सहायक अभियन्ताओं श्री राजेन्द्र प्रसाद व श्री आशुतोष पाण्डेय और 05 सहायक वैज्ञानिक अधिकारियों श्री जयपाल सिंह, श्री एस0सी0 शुक्ला, श्री विश्वनाथ शर्मा, श्री उमेश चन्द्र शुक्ला व श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा को क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में तैनात कर रखा है जबकि समूह 'क' के 11 अधिकारी श्री आशुतोष यादव, श्री आनन्द कुमार आनन्द, श्री विमल कुमार, श्री राधे श्याम, श्री इमरान अहमद, श्री जगदम्बा प्रसाद, श्री अनिल कुमार माथुर, श्री अजीत कुमार सुमन, श्री गिरीश चन्द्र आर्या, श्री अरविन्द कुमार व सुश्री रिचा मिश्रा उपलब्ध हैं जिसमें से 02 वैज्ञानिक अधिकारी तथा 09 पर्यावरण अभियन्ता हैं। श्री अजय कुमार शर्मा का उक्त कृत्य गंभीर प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है और उनकी सत्यनिष्ठा का संदिग्ध करता है।

5. यह कि उक्त प्रस्तर–4 में वर्णित अनियमितता से भी अधिक बड़ी अनियमितता यह है कि समूह 'क' के अधिकारियों के उपलब्ध रहते हुए भी श्री शर्मा द्वारा श्रीमती सपना श्रीवास्तव, श्री एस0सी0 शुक्ला, श्री विकास मिश्रा जैसे कई अधिकारियों को 30–30 लाख रूपये की अतिरिक्त रिश्वत लेकर दो–दो क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रभार दे रखा है और अज्ञात कारणों से श्री शर्मा द्वारा बरती जा रही घोर वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं के प्रति शासन भी मौन है।

6. यह कि क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में तैनाती हेतु ली गयी रिश्वत के अतिरिक्त श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा प्रति क्षेत्रीय अधिकारी से उनके कार्यक्षेत्र में कार्य की सघनता अर्थात संचालित ईट भट्ठे, कारखाने, टेनरीज, मिल्स, आदि की संख्या के आधार पर प्रति माह 5 से 8 लाख रूपये की रिश्वत निर्धारित कर रखा है और उक्त रिश्वत् की धनराशि संबंधित अधिकारी प्रतिमाह श्री शर्मा को लखनऊ पहुँचाते हैं। इसका कम भंग होने पर संबंधित अधिकारी को श्री शर्मा द्वारा या तो मुख्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध कर दिया जाता है अथवा उसे वहाँ से स्थानान्तरित कर किसी अन्य अधिकारी से रिश्वत लेकर उसे तैनात कर दिया जाता है।

7. यह कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव के पद पर कार्यरत रहते हुए भी दोहरे लाभ के उद्देश्य से श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, बरेली के अपने मूल पद का परित्याग नहीं किया गया है। विचारणीय है कि मुख्य पर्यावरण

अभियन्ता के रूप में अपने प्रस्ताव की स्वीकृति सदस्य सचिव के रूप में श्री शर्मा द्वारा स्वयं प्रदान की जाती है जो कि एक गंभीर प्रशासनिक अनियमितता है।

8. यह कि सहायक वैज्ञानिक अधिकारी और वैज्ञानिक अधिकारी का कार्य प्रयोगशाला में नमूनों का परीक्षण करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण संबंधी कार्यों की रोकथाम, प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, उनको नोटिस जारी करना व अन्य प्रशासनिक, विधिक व लाइसेन्सिंग आदि का कार्य अभियंत्रण संवर्ग के अधिकारियों का है। किन्तु अभियंत्रण संवर्ग के पर्याप्त अधिकारियों की उपलब्धता के बावजूद श्री शर्मा द्वारा मात्र रिश्वत के आधार पर सहायक वैज्ञानिक अधिकारियों व वैज्ञानिक अधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रभार सौंप दिया गया है जो उनकी सत्यनिष्ठा को संदिग्ध करता है।

9. यह कि श्री अजय कुमार शर्मा का यह कृत्य अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती तक ही सीमित नहीं है अपितु इससे समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिक भी नहीं बच पाये हैं। उल्लेखनीय है कि स्थानान्तरण और सम्बद्धता को एक श्रेणी में माना गया है। 2022–23 की स्थानान्तरण नीति की अन्तिम तिथि दिनांक 30.06.2022 तक थी। श्री शर्मा द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.06.2022 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर में कार्यरत डा0 रजनीश कुमार सिंह, प्रयोगशाला सहायक का स्थानान्तरण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात में की गयी और इस तैनाती के बदले में 3.00 लाख रूपयं रिश्वत की माँग की गयी। माँग न पूरी होने पर अधिकार न होते हुए भी श्री शर्मा के आदेश दिनांक 08.08.2022 द्वारा डा0 सिंह के उक्त स्थानान्तरण को निरस्त करते हुए उन्हें अनियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद में सम्बद्ध कर दिया गया। ऐसे कई अन्य उदाहरण बोर्ड के अभिलेखों में उपलब्ध हैं।

10. यह कि श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा अपनी अवैध कमाई में अप्रत्याशित वृद्धि हेतु एक नया धंधा चला रखा है। वह यह है कि प्रदेश में संचालित ईट भटठों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कशर्स, उत्पादन इकाईयों, टेनरीज, मिलों, खदानों, आदि को नोटिस की/कराई जाती है और ऐसे नोटिस को प्रतिष्ठान/ईकाई की क्षमता के आधार पर रू0 3 से 8 लाख की रिश्वत लेकर नोटिस को निक्षेप कर दिया जाता है। जिन इकाईयों से रिश्वत की रकम प्राप्त नहीं होती उनके विरूद्ध अर्थदण्ड व अन्य विधिक कार्यवाही करा दी जाती है। श्री शर्मा के कार्यकाल में जारी की गयी ऐसी नोटिस से संबंधित प्रकरणों व निक्षेपित प्रकरणों की जॉच कराने से यह स्वतः स्पष्ट हो जायेगा कि समान आधार/ग्राउण्ड होते हुए रिश्वत मिल जाने पर कुछ इकाईयों की नोटिस को निक्षेपित कर दिया गया और रिश्वत न मिलने पर ईकाई के विरूद्ध कार्यवाही करायी गयी। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट/पोर्टल व बोर्ड की पत्रावलियों से इसकी पुष्टि आसानी से की जा सकती है।

11.यह कि अपने कार्यकाल में श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा कानपुर में 300 तथा जनपद उन्नाव में 50 टेनरीज को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी और संबंधित टेनरीज से रूपये 5–5 लाख की रिश्वत लेकर कारण बताओं नोटिस का निक्षेपण कर दिया गया और इतनी बड़ी संख्या में कारण बताओं नोटिस के निक्षेपण का प्रकरण बोर्ड के अध्यक्ष के भी संज्ञान में नहीं लाया गया। साथ इन समस्त टेनरीज से श्री शर्मा द्वारा रू0 10/– लाख की रिश्वत प्रतिमाह ली जाती है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेवसाइट/पोर्टल व बोर्ड की पत्रावलियों से इसकी पुष्टि आसानी से की जा सकती है।

12.यह कि इसी प्रकार प्रदेश में स्थापित व संचालित स्लाटर हाउस, शूगर मिलों, डिस्टिलरीज व पेपर मिलों से श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा प्रतिमाह रू0 25.00 लाख की धनराशि सुविधा शुल्क के रूप में लिया जाता है और ये उत्पादन इकाईयॉ इसके बदले में प्रदूषण संबंधी नियमों/मानकों की धज्जियॉ उठाते हुए मनमाने ढंग से इकाईयों का संचालन व उत्पादन किया जाता है। ऐसी इकाईयों के विरूद्ध यदि किसी स्रोत से शिकायत की जाती है तो मात्र जॉच की खानापूर्ति करके श्री शर्मा द्वारा शिकायती प्रकरणों को निक्षेपित कर दिया जाता है।

13.यह कि राज्य सरकार द्वारा मा0 न्यायालय के निर्देश पर *सिंगल यूज प्लास्टिक के* उत्पादन/वितरण आदि को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी नियम की आड़ लेकर अन्य कैटेगरी के प्लास्टिक के उत्पादन हेतु संबंधित इकाईयों के राज्य के अन्तर्गत पंजीयन हेतु श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा प्रति इकाई रू0 5/– लाख की रिश्वत ली जाती है। बिना रिश्वत की प्राप्ति के पंजीयन नहीं किया जाता और मामले को लटकाये रखा जाता है। इसकी पुष्टि संबंधित इकाईयों से पूछताछ कर की जा सकती है।

14.यह कि सदस्य सचिव के पद पर श्री अजय कुमार शर्मा की नियुक्ति 'वाटर (प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ पाल्यूशन) एक्ट, 1974' एवं 'एयर (प्रिवेन्शन एवं कन्ट्रोल आफ पाल्यूशन) एक्ट, 1981' के प्राविधानों के अधीन गलत ढंग से की गयी। उक्त अधिनियमों में यह प्राविधान है कि प्रदूषण नियंत्रण के आस्पेक्ट को पूर्ण करने हेतु शैक्षिक अर्हता, ज्ञान और वैज्ञानिक, इन्जीनियरिंग अथवा प्रबंधन को धारित करने वाले व्यक्ति को पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त किया जायेगा। यह भी प्राविधान है कि राज्य सरकार द्वारा कम से कम दो सदस्यों, जो विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव रखते हों, में से विचार कर किसी एक सदस्य को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जायेगा। यहॉ पर यह उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों अधिनियमों में पूर्ण कालिक सदस्य सचिव की नियुक्ति का प्राविधान है, न कि अंशकालिक अथवा कार्यवाहक सदस्य सचिव की नियुक्ति का। चूॅकि श्री अजय कुमार शर्मा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड में मुख्य पर्यावरण अधिकारी/अभियन्ता के पद पर अभी भी नियुक्त/तैनात हैं, अतः उन्हें पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी कि श्री शर्मा को अधिनियम में प्राविधान न होने के कारण श्री अजय कुमार शर्मा को कार्यवाही सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाना किसी भी दशा में नियमानुसार नहीं है। विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री अजय कुमार शर्मा से ज्येष्ठ 03 मुख्य पर्यावरण अधिकारी/अभियन्ता बोर्ड में अभी भी कार्यरत हैं किन्तु उनके नामों पर विचार न कर एक मोटी रकम सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लेकर श्री शर्मा को सदस्य सचिव के पद पर नियुक्त करा दिया गया जिसकी जॉच किसी स्वतंत्र एजेन्सी से कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की आवश्यकता है।

15. यह कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.08.2021 द्वारा 'उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य–सचिव की सेवा शर्तें) नियमावली, 2021 प्रख्यापित की गयी है जिसमें भी सदस्य सचिव के पद पर अन्तरिम अथवा कार्यवाहक के रूप में नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है। ऐसी स्थिति मे श्री अजय कुमार शर्मा को नियमों के विपरीत सदस्य–सचिव के पद पर बनाये रखने हेतु दोषी अधिकारियों के दायित्व निर्धारण की महती आवश्यकता है। चूँकि अध्यक्ष और सदस्य–सचिव के पद पर चयन की नियमावली बनाकर और उक्त पदों पर नियमित चयन कर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के विरूद्ध लंबित अवमानना याचिका में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अनुपालन आख्या दाखिल किया जाना है जिसके दृष्टिगत सदस्य–सचिव के पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए दिनांक 10.12.2021 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। अनेकों योग्य आवेदकों के आवेदन पत्र शासन में प्राप्त हुए हैं जिन्हें श्री शर्मा के धनबल के कारण शासन स्तर पर लम्बित रख दिया गया है ताकि श्री शर्मा सदस्य–सचिव के पद पर निरन्तर कार्य करते रहें।

उपरोक्त विन्दु विश्वस्त सूत्रों से मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार हैं। इन विन्दुओं के साथ–साथ जुलाई, 2021 से अब तक श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा सदस्य–सचिव के रूप में संपादित कार्यो व अपने स्तर से लिये गये सभी निर्णयों की गहन जॉच की आवश्यकता है। किन्तु इसके पूर्व श्री शर्मा को सदस्य सचिव के पद से बर्खास्त किया जाना आवश्यक है ताकि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न कर सकें।

अतः महोदय से अनुरोध है कि कृपया श्री शर्मा को सदस्य–सचिव के पद से तत्काल बर्खास्त कर पत्र में उल्लिखित विन्दुओं व जुलाई, 2021 से अब तक श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा सदस्य–सचिव के रूप में संपादित कार्यो व अपने स्तर से लिये गये सभी निर्णयों की जॉच बोर्ड से इतर आई0ए0एस0/आई0एफ0एस0 अधिकारियों की एक समिति के माध्यम से अथवा सतर्कता विभाग से कराने तथा श्री शर्मा द्वारा अर्जित सम्पत्ति की खुली जॉच सतर्कता

अधिष्ठान अथवा आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन से कराने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(विनोद पाण्डेय)
एडवोकेट।

प्रलिपित निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0।
2. मा0 राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0।
3. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, सतर्कता विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, लोकायुक्त, उ0प्र0, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(विनोद पाण्डेय) 13/x/2022
एडवोकेट।

विनोद कुमार
एडवोकेट हाईकोर्ट
निवास–चेम्बरः वी–2, नेहरू इन्क्लेव,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष–9415027000 / 0522-2309...

अनिल कुमार सिंह,
एच0जे0एस0
सचिव,
लोक आयुक्त उ0प्र0,
लखनऊ।

उप लोक आयुक्त
उत्तर प्रदेश

पो. बाक्स नं. 172 (जी.पी.ओ.)
टी.सी. 46/वी-1, विभूति खण्ड
गोमती नगर
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 2306088
2728086
2306412
फैक्स : (0522) 2306647

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

संख्या– 1455–2022/06/10960

दिनांक: 26 दिसम्बर, 2022

विषय– श्री विनोद कुमार पाण्डेय जनपद लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस प्रशासन में परिवादी श्री विनोद कुमार पाण्डेय जनपद लखनऊ द्वारा इस प्रशासन में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रश्नगत परिवाद की छायाप्रति मय संलग्नक संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में जॉच कराकर अपनी जॉच आख्या माननीय उप लोक आयुक्त जी के अवलोकनार्थ अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 31–01–2023 के पूर्व उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सचिव

पृ0प0सं0–1455–2022/06/ तददिनांक

प्रतिलिपि श्री विनोद कुमार, पुत्र स्व0 जनार्दन प्रसाद, ...–2 नेहरू इन्कलेव, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव